न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

(1)

मुन्नीलाल साहू बनाम् चतुर साव वगै0
विविध वाद संख्या –01 / 2020
U/S – 145 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. मुन्नीलाल साहू, पिता – भोला साहू,
साकिन – चौधरीबाँध, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. चतुर साव, पिता – स्व0 थाम्भी साव,
2. गजेन्द्र साहु, पिता – स्व0 थाम्भी साव,
3. मनोज कुमार साहु, पिता – गजेन्द्र साहु,
4. चेतो साव, पिता – स्व0 लिलो साव,
5. रामेश्वर साहु उर्फ रघु साहु, पिता – चेतो साव,
6. रोहित कुमार, पिता – रामेश्वर साहु उर्फ रघु साहु,

सभी साकिन – चौधरीबाँध, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
चौधरीबाँध / 86	7 / 1	1154	10 डी0 मधे 2.5 डी0	उ0 – बाली साव, द0 – रास्ता, पू0 – डेगलाल साव, प0 – लखन साहु।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 29.06.2020 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या – 636, दिनांक – 09.04.1931 की छायाप्रति, कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. चमन तेली वो थाम्भी तेली, पिता – दुली तेली के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 29.06.2020 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि मौजा – चौधरीबाँध, थाना नं0 – 86, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0 मधे 2.5 डी0 चौहदी उ0 – बाली साव, द0 – रास्ता, पू0 – डेगलाल साव, प0 – लखन साहु, देवचंद तेली वल्द मेघु तेली से चमन तेली वो थाम्भी तेली को 09.04.1931 से हासिल है, हासिल के बाद दोनों उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा अधिकार व जोत आवाद के बाद दाखिल खारिज करा कर सरकारी लगान रसीद प्राप्त किए।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि उक्त जमीन 05 डी0 में 2.5 डी0 चमन तेली तथा 2.5 डी0 थम्भी तेली के हिस्से में हुआ थम्भी साव उक्त अपने बंटवारे के जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए तो 2.5 डी0 पर पूर्ण रूपेण हकदार होकर जोत आवाद व अधिकार में आया, थम्भी साव के पाँच पुत्र दीपन साव, भोला साहु, नुनुचन्द साव, गजेन्द्र साहु तथा चतुर साव हुए। उक्त सभी भाई आपस में समझौता कर मौखिक रूप में थम्भी साव के हिस्से 2.5 डी0 जमीन जिसका खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154 भोला साहु के हिस्से में दिए तथा इसके बदले में अन्य चार अन्यत्र इस जमीन के बदले में लिए यह जमीन भोला साव शांतिपूर्ण दखल कब्जा व अधिकार में रहते हुए अपने जीवन काल में दखलकार रहे और जोत आवाद किए अब इनके वाद इनका एक मात्र पुत्र मुन्नीलाल साहु हुए और ये भी इस जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए लगभग 30 वर्षों से भोला साहु के दखल कब्जा के जमीन से विपक्ष बेदखल करने की कोशिश कर रहें हैं।

प्रथम पक्ष की ओर से गवाह की गवाही निम्नवत् है:–

गवाह सं0 – 01 की गवाही एवं प्रतिपरिक्षण –

गवाह का मुख्य कथन –

1. *मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ।*
2. *मौजा – चौधरीबाँध में है। खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0।*
3. *10 डी0 जमीन में 5 डी0 जमीन बिकी किया गया है। स्व0 देवचन्द तेली बेचें है।*
4. *प्रथम पक्ष का 2.5 डी0 जमीन हिस्सा है। 2.5 डी0 जमीन में दादा सुमन तेली का है।*
5. *द्वित्तीय पक्ष अवैध रूप से कब्जा कर रहा है।*
6. *हम जो कहे वह सत्य है।*

प्रतिपरीक्षण–

द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे, गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

गवाह सं0 – 02 की गवाही एवं प्रतिपरिक्षण –

गवाह का मुख्य कथन –

1. *हम दोनों पक्षों को जानता हूँ।*
2. *प्रथम पक्ष के द्वारा जो वाद लाया गया है वह चौधरीबाँध मौजा का है। खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0 मधे 2.5 डी0।*
3. *प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।*
4. *2.5 डी0 जमीन को लेकर विवाद है।*
5. *2.5 डी0 जमीन पर द्वित्तीय पक्ष दखल कब्जा करना चाहता है।*
6. *द्वित्तीय पक्ष का जमीन नहीं है।*

प्रतिपरीक्षण–

द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे, गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

गवाह सं0 – 03 की गवाही एवं प्रतिपरिक्षण –

गवाह का मुख्य कथन –

1. *हम दोनों पक्षों को जानता हूँ।*
2. *दोनों आपस में गोतिया है।*
3. *दोनों पक्षों का जमीन मौजा – चौधरीबाँध में है।*
4. *उभय पक्ष आपस में घरैया बंटवारा कर लिया गया है।*
7. *प्रथम पक्ष चौधरीबाँध मौजा पर केस लाया है। खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0 मधे 2.5 डी0।*
5. *2.5 डी0 पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।*
6. *द्वित्तीय पक्ष बल पूर्वक दखल – कब्जा करना चाहता है।*

प्रतिपरीक्षण–

द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे, गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

गवाह सं0 – 04 की गवाही एवं प्रतिपरिक्षण –

गवाह का मुख्य कथन –

यह मुकदमा मेरे द्वारा लाया गया है। तकरारी जमीन का खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0 मधे खरीदगी 5 डी0 में से 2.5 डी0 पर विवाद है। मौजा – चौधरीबाँध, थाना – बगोदर, चौहदी उ0 – बाली साव, द0 – रास्ता, पू0 – डेगलाल साव, प0 – लखन साव; हम भाईयों के बीच घरैया बंटवारा हो चुका है। यह जमीन मेरे हिस्से आया है। इस जमीन पर द्वित्तीय पक्ष कब्जा करना चाहता है। द्वित्तीय पक्ष के द्वारा जमीन पर सेप्टिक टैंक हेतु गढ़ा किया गया है। विवाद उत्पन्न होने से पहले मेरा दखल कब्जा था।

प्रतिपरीक्षण–

द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे, गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 28.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2 – यह कि प्रश्नगत भूमि मौजा – चौधरीबाँध, थाना – बगोदर के खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, रकबा – 10 डी0 मधे 2.5 डी0 वाद बेबुनियाद निराधर एवंत तथ्य हीन है। इसलिए वाद की कार्रवाही चलने लायक नहीं है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 3 – यह कि द्वित्तीय पक्ष का वंशावली इस प्रकार है:–

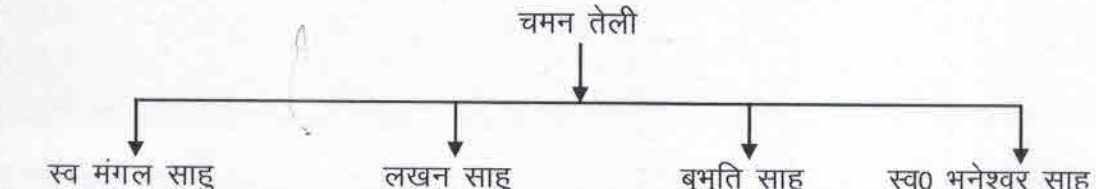

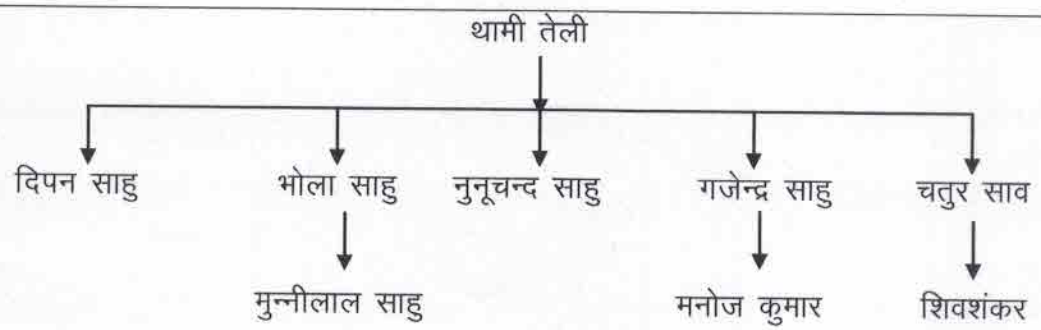

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 4 – यह कि वंशावली के अनुसार चमन तेली वो थाम्भी तेली दोनों भाईयों में सभी पैतृक चल अचल सम्पत्ति का घरैया बंटवारा हो चुका है। वो प्लॉट नं0 – 1154 चमन तेली के वंशजों को घरैया बंटवारा के अनुसार मिला है तथा इसके सभी हिस्सेदार उक्त भूमि रामेश्वर साव के साथ बिक्री कर चुके है तथा खरीदगी भूमि पर रामेश्वर साव निर्माण कार्य कर चुके है। ज्योंहि बाथरूम का टंकी बना रहे थे तभी उन्हे नोटिस प्राप्त हुआ है और उसने न्यायालय का आदेश का पालन किया है वो काम रोक दिये है। जिससे स्थल पर शांति भंग होने जैसी कोई संभावना नहीं है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 5 – यह कि चमन तेली के वंशज जो उपर वंशावली में दर्ज है सभी व्यावसायी है, तथा अपने – अपने व्यवसाय को लेकर मुम्बई, चेन्नई है हरिद्वार में रहतें हैं तथा नवम्बर 2019 में अपने घर आये थे और जमीन को अमीन से नापी कराया गया उसमें ट्रेंच कटाया गया और उनके रहते ही चाहरदीवारी का निर्माण हुआ है, जिसपर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं हुआ है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 7 – यह कि प्रथम पक्ष अपने हिस्सेदारों को प्रलोभन दिया है कि मेरा साथ दो तो 2.5 डी0 भूमि को कब्जा कर लेगें, परन्तु कोई भी हिस्सेदार प्रथम पक्ष का साथ नहीं दिये और कहें इस प्लॉट पर हमलोगो का हिस्सा भी नहीं बनता है क्योंकि वास्तव में प्रश्नगत भूमि का स्वामी द्वित्तीय पक्ष के सदस्यगण जायज रूप से हैं। वो पीढी दर पीढी शांतिपूर्वक कायम काबिज है।

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक – 553, दिनांक – 17.07.2020, अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ,)–प्रदर्श C-1

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक – 553, दिनांक – 17.07.2020 में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:–

जाँच का बिन्दु	प्रतिवेदन
खतियान के अनुसार	मौजा – चौधरीबाँध, थाना नं0 – 86, खाता नं0 – 7, प्लॉट नं0 – 1154, सर्वे रैयती खाते की भूमि है।
पंजी II के अनुसार	पंजी II के पेज नं0 – 146, भोलुम नं0 – 1 पर आवेदक के दादा चमन वो थाम्भी तेली, पिता – पुली तेली नाम से जमाबंदी पाये है। लगान निर्गत है।
सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी	सरजमीन पर दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है।

क्या विवादित भूमि के कारण शांति भंग होने की संभावना है	उक्त विवादित भूमि पर चेतो साव, पे0 – स्व0 लीलो साव के द्वारा बिना किसी राजस्व कागजात का मकान बना रहा है जो विवाद का कारण है। जिससे शांति भंग होने की संभावना है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
चौधरीबाँध/86	7/1	1154	10 डी0 मधे 2.5 डी0	उ0 – बाली साव, द0 – रास्ता, पू0 – डेगलाल साव, प0 – लखन साहु।

2. उक्त भूमि खतियान के अनुसार **रैयती खाता** की भूमि है।

3. मौजा – चौधरीबाँध, थाना नं0 – 86, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 7/1, प्लॉट नं0 – 1154, **रकबा – 10 डी0 मधे 05 डी0 जमीन,** चौहदी उ0 – बाली साव, द0 – रास्ता, पू0 – डेगलाल साव, प0 – लखन साहु, –– **विकेता देवचंद तेली, वल्द मेघु तेली** से –– **केता चमन तेली वो थाम्भी तेली को** –– केवाला सं0 – 636, दिनांक – 09.04.1931 से प्राप्त हुआ है। **(केवाला की छायाप्रति संलग्न)**

4. दाखिल खारिज होकर उक्त जमीन की जमाबंदी **चमन तेली वो थाम्भी तेली, पिता – दुली तेली** के नाम से कायम हुआ तथा वर्त्तमान में ऑनलाईन पंजी II, भाग संख्या – 1, पृष्ठ संख्या – 146 पर, दर्ज है। **(ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति संलग्न)**

5. **प्रथम पक्ष का कहना है कि** उक्त 05 डी0 जमीन में से, **2.5 डी0 जमीन चमन तेली तथा 2.5 डी0 जमीन थाम्भी तेली के हिस्से में प्राप्त हुआ;** थाम्भी साव उक्त अपने बंटवारे के जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए, प्रथम पक्ष थाम्भी साव के वंशज हैं।

   थम्भी साव के पाँच पुत्र –– दीपन साव, भोला साहु, नुनुचन्द साव, गजेन्द्र साहु तथा चतुर साव हुए। उक्त सभी भाई आपस में समझौता कर मौखिक रूप में थम्भी साव के हिस्से का 2.5 डी0 जमीन भोला साहु के हिस्से में दिए तथा इसके बदले में अन्य चार भाई अन्यत्र जगह पर हिस्सा लिये।

   इस जमीन पर भोला साव शांतिपूर्वक दखलकार हुए तथा उनके बाद यह जमीन उनके एक मात्र पुत्र मुन्नीलाल साहु के हिस्से में आया।

   प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पांचों गवाह का कहना है कि उक्त विवादित जमीन (जिसका विवरण उपर कंडिका 01 में दिया गया है) पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

6. **द्वित्तीय पक्ष** का कहना है कि चमन तेली वो थाम्भी तेली दोनों भाई थे उनके बीच सभी पैतृक चल – अचल संपत्ति का घरैया बंटवारा हो चुका है, घरैया बंटवारा में प्लॉट नं0 – 1154, चमन तेली के वंशजों को मिला है, और इसके सभी हिस्सेदार इस जमीन को रामेश्वर साव के साथ ब्रिकी कर चुके है, **परन्तु अपने दावा के समर्थन में कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।**

द्वित्तीय पक्ष की ओर न्यायालय में कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त विश्लेष्ण से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

अतः उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा घोषित किया जाता है; तथा द्वित्तीय पक्ष को उक्त भूमि पर जोने से रोक लगाया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

इसके साथ ही Cr.P.C 145 की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13.03.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

13.03.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.23 11:08:53 +05:30
Location: 192.168.1.5